न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/105/2021

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री अरविन्द कुमार जैन, निवासी मकान नं0 डी–36 भैरव कृपा हसन खॉ मेवाती नगर, अलवर जिला अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::— **दिनांकः– 29–06–2021**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01–03–21 के माध्यम आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.06.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1189 दिनांक 23.06.21 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 01.03.21, अपील प्रा0पत्र दिनांक 09.06.21 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 1032–33 दिनांक 11.05.21 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत तहसीलदार लक्ष्मनगढ को अन्तरित किये जाने एवं सूचना प्राप्त नही होने पर उनके ज्येष्ठ पंक्ति वरिष्ठ अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जा चुका है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रथम अपील की अनुपालना में प्रार्थी को पुनः पत्रांक 1189 दिनांक 23.06.21 से भी सूचित किया गया है। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् भी अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से सूचना आवेदन का त्वरित निस्तारण हेतु तहसीलदार लक्ष्मनगढ को निर्देशित करें। लोक सूचना अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक** 29.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज0)